न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री विजयकान्त गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. मोहम्मद सादिक पुत्र श्री मोहम्मद इकबाल (विक्रेता)

फर्मः- मैसर्स सिद्ध विनायक ट्रेडर्स, नगर परिषद के पास, सिरोही, जिला- सिरोही
निवासी- शाहजी की बाडी, नगर परिषद के पास, सिरोही

2. मोहम्मद मनसूर पुत्र श्री मोहम्मद इकबाल (मालिक)

फर्मः- मैसर्स सिद्ध विनायक ट्रेडर्स, नगर परिषद के पास, सिरोही, जिला- सिरोही
निवासी- शाहजी की बाडी, नगर परिषद के पास, सिरोही

3. श्री अमित सोनी पुत्र श्री सी.एल. सोनी (भागीदार)

फर्मः- मैसर्स श्री राम एग्रो एक्सपोर्ट, G1-221 एग्रो फूड पार्क, बोरनाडा, जोधपुर-342012
निवासी- 31 सी, पितृ कृपा, पी.डब्लयू.डी. कॉलोनी, जोधपुर

4. श्रीमती लीला देवी पत्नि श्री सी.एल.सोनी (भागीदार)

फर्मः- मैसर्स श्री राम एग्रो एक्सपोर्ट, G1-221 एग्रो फूड पार्क, बोरनाडा, जोधपुर-342012
निवासी- 31 सी, पितृ कृपा, पी.डब्लयू.डी. कॉलोनी, जोधपुर

प्रकरण संख्याः 04/2018

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 खाद्य पदार्थ एवं मानक अधिनियम, 2006 "

उपस्थितिः

अभियुक्त संख्या- 1 से 3

-: निर्णय :- **दिनांक 08 मई, 2018**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विजयकान्त गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 15.9.2017 को 10.00 ए.एम. पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी फर्म मैसर्स सिद्ध विनायक ट्रेडर्स, नगर परिषद्, सिरोही के पास, सिरोही पर पॅहुचा। दुकान पर विक्रेता की हैसियत से मोहम्मद सादिक पुत्र श्री मोहम्मद इकबाल, जाति- मुसलमान उपस्थित मिले, जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ पापड, नमकीन आदि बेचने हेतु कब्जे में रखा पाया गया। दुकान का निरीक्षण करने पर दुकान में उडद स्पेशल पापड (ओसियो ब्रांड) 400 ग्राम कि 40 पोली पैकेट थे। उक्त खाद्य पदार्थ उडद स्पेशल पापड (ओसिया ब्रांड) में मिलावट व मिथ्याछाप होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में गवाहान के समक्ष भरकर दी एवं प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। गवाहान के समक्ष विक्रेता को उनके द्वारा बताये गये बाजार भाव से रुपये

....पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

238/- नकद देकर उडद स्पेशल पापड (ओसियां ब्रांड) के 400-400 ग्राम के 4 पैकेट खरीदे एवं रसीद प्राप्त की। विक्रेता एवं गवाहान के समक्ष उक्त खरीदशुदा उडद स्पेशल पापड (ओसियां ब्रांड) 400-400 ग्राम के चारों नमूना पैकेटों हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर अभिहित अधिकारी के कोड व क्रमांक AD-631, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर विक्रेता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना पैकेट पर उपरोक्त लेबल चिपकाया एवं प्रत्येक पैकेट को साफ सूखे खाली गत्थे के डिब्बे में रखकर प्रत्येक नमूना भाग को भूरे कागज में लपेटकर कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना पैकेट पर अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोधपुर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप AD-631 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे विक्रेता व गवाहान ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व मैनें स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारो नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में रखकर सील चपडी से सिल्ड किया एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित कर उक्त एक सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा मेरे द्वारा दिनांक 18.9.2017 को मेरे द्वारा खाद्य विशलेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो असल संलग्न है तथा नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग को अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- जोधपुर को दिनांक 18.9.2017 को मेरे द्वारा जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो असल संलग्न है। अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर के पत्र क्रमांक 894-895 दिनांक 16.10.2017 के संलग्न खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./820/एक्ट/2017/819 दिनांक 27.9.2017 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ उडद स्पेशल पापड (ओसिया ब्रांड) का नमूना AD-631 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। मेरे द्वारा मैसर्स श्री राम एग्रो फूड एक्सपोर्ट को पत्र क्रमांक 818 दिनांक 25.9.2017 के द्वारा फार्म नम्बर 5ए एवं रखीद बिल की छाया प्रति पेश कर फर्म से संबंधित कागजता मंगवाये गये, जिसके प्रति उत्तर में दिनांक 31.10.2017 को मैसर्स श्री राम एग्रो फूड एक्सपोर्ट द्वारा पत्र के साथ फूड लाईसेन्स एवं वेट 03 की छाया प्रति पेश की एवं मेरे द्वारा दिनांक 02.12.2017 को नमूना संख्या AD-631 की जांच रिपोर्ट एवं अभिहित अधिकारी के अग्रेषण पत्र की छाया प्रति भिजवाई गई। प्रकरण में

....पेज तीन पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर को अभियोजन स्वीकृति हेतु मेरे मूल कागजात आदि प्रस्तुत करने पर अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर के पत्र क्रमांक:एफएसएसए/2018/स्वीकृति/एडी-631/27 दिनांक 04.1.2018 के द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ उडद स्पेशल पापड (ओसिया ब्रांड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो धारा- 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अभियुक्तगण पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 13.3.2018 एवं 08.5.2018 को अभियुक्त संख्या 1 से 3 क्रमशः मोहम्मद सादिक, मोहम्मद मनसूर व अमित सोनी उपस्थित हुए। प्रकरण में अभियुक्त संख्या- 1 से 3 ने दिनांक 08.5.2018 को संयुक्त रुप से लिखित जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया। अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जवाब में यह अंकित किया गया है कि दिनांक 15.9.2017 को फर्म सिद्ध विनायक ट्रेडर्स, सिरोही से ओसिया छाप पापड का नमूना लिया गया था जो जांच में मिथ्या छाप पाया गया है। उक्त पापड मैनें अन्य प्रार्थी से खरीदा था। भविष्य में अच्छी, शुद्ध, गुणवत्ता एवं सही छाप की सामग्री ही क्रय विक्रय करुंगा। मै मेरा जुर्म स्वीकार करता हूँ, इसलिये कम से कम जुर्माना आरोपित किया कर प्रकरण का निस्तारण करावें। यदि सभी पर जुर्माना होता है तो सभी की तरफ से जुर्माना राशि निर्माता फर्म अदा करने हेतु तैयार है। अभियुक्त संख्या- 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत जवाब के साथ अभियुक्त संख्या-3 अमित सोनी ने निर्माता फर्म श्री राम एग्रो फूड एक्सपोर्ट का अधिकृत पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें अभियुक्त संख्या-3 को निर्माता फर्म श्री राम एग्रो फूड एक्सपोर्ट की ओर से विधिक प्रकरणों में कार्यवाही हेतु अधिकृत किया गया है।

(3) प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से दिनांक 08.5.2018 को ही अभियुक्तगण को सुना गया। अभियुक्तगण ने अनुरोध किया कि भविष्य में मिथ्या छाप खाद्य सामग्री का क्रय एवं विक्रय नही करेंगे। अभियुक्त संख्या-3 अमित सोनी ने अनुरोध किया कि निर्माता फर्म श्री राम एग्रो फूड एक्सपोर्ट द्वारा उक्त खाद्य सामग्री के पैकिंग लेबल पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों अनुसार सही सूचना अंकित कर ही खाद्य सामग्री विक्रय की जा रही है व अब निर्माता फर्म श्री राम एग्रो फूड एक्सपोर्ट द्वारा मिथ्याछाप सामग्री का विक्रय नही किया जाता है, इसलिये कम से कम जुर्माना आरोपित किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि दिनांक 15.9.2017 को 10.00 ए.एम. पर आवेदक श्री विजयकान्त गौतम, खाद्य

.....पेज चार पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

सिरोही (राज.)

सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- जोधपुर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स सिद्ध विनायक ट्रेडर्स, नगर परिषद् के पास, सिरोही पर गये। उक्त फर्म मैसर्स सिद्ध विनायक ट्रेडर्स में विक्रेता की हैसियत से मोहम्मद सादिक पुत्र श्री मोहम्मद इकबाल, निवासी- शाहजी की बाड़ी, नगर परिषद् के पास, सिरोही उपस्थित मिले। जो उक्त फर्म मैसर्स सिद्ध विनायक ट्रेडर्स में आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ पापड, नमकीन आदि विक्रय करता है एवं विक्रय हेतु कब्जे में रखा हुआ पाया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स सिद्ध विनायक ट्रेडर्स दुकान का निरीक्षण करने पर दुकान में उडद स्पेशल पापड (ओसिया ब्रांड) 400 ग्राम के 40 पोली पैकेट आम जन के विक्रय हेतु रखे हुये पाये, जिनमें मिलावट व मिथ्या छाप होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना कय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही एवं श्री रमेश कुमार डोगरा पुत्र श्री हरनामदास, नगर परिषद् के पास, सिरोही के समक्ष विक्रेता मोहम्मद सादिक को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गवाहान के समक्ष विक्रेता को बाजार भाव से रुपये 238/- नकद देकर खाद्य पदार्थ उडद स्पेशल पापड (ओसियां ब्रांड) के 400 ग्राम के 4 पैकेट खरीदे एवं रसीद प्राप्त की। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर विक्रेता मोहम्मद सादिक, उक्त गवाहान एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- जोधपुर के कोड एवं कमांक AD-631, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर विक्रेता मोहम्मद सादिक व उक्त गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं खरीद शुदा चारों नमूना पैकेटों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाकर चारों नमूना पैकेटो को अलग अलग गत्ते के डिब्बे में रखकर प्रत्येक नमूना भाग को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- जोधपुर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप AD-631 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता मोहम्मद सादीक व उक्त गवाहान के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूनों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की गई। मौका फर्द रिपोर्ट पर विक्रेता मोहम्मद सादिक, उक्त गवाहान एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ कय का बिल एवं मौका फर्द आदि के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ उडद स्पेशल पापड (ओसिया ब्रांड) को खाद्य पदार्थ एवं सुरक्षा अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

....पेज पांच पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खाद्य पदार्थ उडद स्पेशल पापड के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की तथा चारों नमूना भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नम्बर- 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 18.9.2017 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर को दिनांक 18.9.2017 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ उडद स्पेशल पापड (ओसियां ब्रांड) का नमूना संख्या AD-631 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक: L.S./820/Act/2017/819 दिनांक 27.9.2017 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म मैसर्स सिद्ध विनायक ट्रेडर्स, नगर परिषद के पास, सिरोही में विक्रेता मोहम्मद सादिक से वास्ते जांच कय किया गया खाद्य पदार्थ उडद स्पेशल पापड (ओसियां ब्रांड) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अन्तर्गत मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है, जो Regulation No. 2.2.2.2(f) of Food Safety and Standards (packaging and Labelling) Regulations, 2011 का उल्लंघन है।

प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह तथ्य भी साबित होता है कि अभियुक्त संख्या-1 (मोहम्मद मनसूर) की फर्म मैसर्स सिद्ध विनायक ट्रेडर्स, नगर परिषद्, सिरोही द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ उडद स्पेशल पापड (ओसिया ब्रांड) के 400 ग्राम के पैक पैकेट उक्त खाद्य पदार्थ उडद स्पेशल पापड (ओसियां ब्रांड) की निर्माता फर्म श्री राम एग्रो एक्सपोर्ट, G1-221 एग्रो फूड पार्क, बोरानाडा, जोधपुर से वेट इनवोइस नम्बर SRAE001/629 दिनांक 17.8.2017 के द्वारा क्रय किये गये थे, जो अभियुक्त संख्या 3 व 4 की भागीदारी की फर्म है।

इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य साबित है कि अभियुक्त संख्या-2 की फर्म सिद्ध विनायक ट्रेडर्स, नगर परिषद्, सिरोही द्वारा मिथ्याछाप (Mis-branded) खाद्य पदार्थ उडद स्पेशल पापड (ओसियां ब्रांड) का विक्रय किया गया है एवं अभियुक्त संख्या 3 व 4 की भागीदारी फर्म मैसर्स श्री राम एग्रो एक्सपोर्ट G1-221 एग्रो फूड पार्क, बोरानाडा, जोधपुर द्वारा मिथ्या छाप (Mis-branded) खाद्य पदार्थ उडद स्पेशल पापड (ओसियां ब्रांड)का निर्माण, पैकिंग व विक्रय किया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा- 2(ii) का उल्लंघन है एवं इस अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। चूंकि प्रकरण में अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत

.....पेज छः पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

सिरोही

जवाब में यह अंकित किया गया है कि निर्माता फर्म सभी अभियुक्तगण की ओर से जुर्माना राशि अदा करने हेतु तैयार है। ऐसी स्थिति में, उक्त खाद्य पदार्थ उडद स्पेशल पापड (ओसियां ब्रांड) की निर्माता फर्म श्री राम एग्रो एक्सपोर्ट, G1-221 एग्रो फूड पार्क, बोरानाडा, जोधपुर पर संयुक्त रुप से जुर्माना आरोपित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 52 के तहत उक्त खाद्य पदार्थ उडद स्पेशल पापड (ओसियां ब्रांड) की निर्माता फर्म श्री राम एग्रो एक्सपोर्ट, G1-221 एग्रो फूड पार्क, बोरानाडा, जोधपुर पर संयुक्त रुप से राशि रुपये 25,000/- (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। उक्त निर्माता फर्म श्री राम एग्रो एक्सपोर्ट, G1-221 एग्रो फूड पार्क, बोरानाडा, जोधपुर पर आरोपित उक्त जुर्माना राशि अदा करने हेतु उक्त निर्माता फर्म श्री राम एग्रो एक्सपोर्ट के भागीदार अमित सोनी पुत्र श्री सी.एल. सोनी, निवासी- 31 सी पितृ कृपा, पी.डब्लयू.डी.कॉलोनी, जोधपुर एवं श्रीमती लीला देवी पत्नि श्री सी.एल. सोनी, निवासी- 31 सी पितृ कृपा, पी.डब्लयू.डी. कॉलोनी, जोधुपर उत्तरदायी रहेंगे। निर्माता फर्म श्री राम एग्रो एक्सपोर्ट के भागीदार अमित सोनी पुत्र श्री सी.एल. सोनी, निवासी- 31 सी पितृ कृपा, पी.डब्लयू.डी.कॉलोनी, जोधपुर एवं श्रीमती लीला देवी पत्नि श्री सी.एल.सोनी, निवासी- 31 सी पितृ कृपा, पी.डब्लयू.डी. कॉलोनी, जोधुपर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार आरोपित जुर्माना राशि रुपये 25,000/- (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही